कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर निगम मुख्यालय, गांधी मैदान के पास, रायपुर (छ.ग.)

फोन.नं- 0771-2535780, 90, फैक्स : 0771-2227395; ई–मेल :- sbmrmc2017@gmail.com

क्रमांक 329 / स्व.भा.मि. / नपानि / 2020–21 रायपुर, दिनांक : 21/07/2020

रूचि की अभिव्यक्ति

नगर पालिक निगम, रायपुर सीमा क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन, "सुविधा – 24" के तहत् सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाना है। प्रत्येक कार्य हेतु पृथक–पृथक आवेदन अशासकीय संस्थानो (एन.जी.ओ.) से रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) दिनांक 18.08.2020 संध्या 5:30 बजे तक नगर निगम मुख्यालय, कार्यपालन अभियंता (योजना) के कक्ष में आमंत्रित की जाती है। इस हेतु आवेदन पत्र प्रत्येक कार्य हेतु राशि रू. 1000/– का डिमांड ड्राफ्ट, जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से देय होगा, जमाकर दिनांक 13.08.2020 के पूर्व प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक कार्य हेतु रू. 10,000 रू. की अमानती राशि एफ.डी.आर. के रूप में संलग्न कर संस्था के पूर्ण विवरण, वांछित दस्तावेज सहित जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ही स्वीकार किया जायेगा। प्राप्त आवेदन अगले दिन उपस्थित प्रस्तावकर्ता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जायेगा। इस हेतु नियम – शर्ते तथा स्थल की जानकारी कार्यालयीन समय पर योजना शाखा के कक्ष क्र. 408 से प्राप्त की जा सकती है।

नोडल अधिकारी एवं
कार्यपालन अभियंता (SBM)
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर निगम मुख्यालय, गांधी मैदान के पास, रायपुर (छ.ग.)

फोन.नं- 0771-2535780, 90, फैक्स : 0771-2227395; ई–मेल :- sbmrmc2017@gmail.com

स्वच्छ भारत मिशन ''सुविधा – 24'' योजना के अंतर्गत सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रण बाबत् नियम एवं शर्तें

नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा जारी रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रण सूचना के तहत् स्वच्छ भारत मिशन, ''सुविधा – 24'' योजना के अंतर्गत सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य एवं निर्माण उपरांत उक्त शौचालय का 30 वर्षो तक संचालन – संधारण कार्य 'पे एण्ड यूज' के आधार पर करने हेतु इच्छुक पंजीकृत अशासकीय संस्थान/एन.जी.ओ. को अपने संस्था के ओरिजनल लेटर हेड में स्वहस्तांतरित आवेदन प्रस्ताव में दर पर सहमति/न्यूनतम दर, निर्धारित तिथि एवं समयावधि में प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारित तिथि एवं समयावधि के उपरांत प्राप्त ई.ओ.आई. प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेंगे।

1. रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) प्रस्ताव के साथ संस्था से संबंधित निम्नांकित दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   1. राज्य शासन अथवा सरकारी प्रतिष्ठान से एन.जी.ओ./पंजीकृत अशासकीय संस्थान की मान्यता प्राप्ति का प्रमाण पत्र एवं संस्था का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
   2. संस्था का वार्षिक व्यापार विवरण (yearly turnover), संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्य की लागत राशि से कम नही होना चाहिये। जिसकी पुष्टि हेतु पंजीकृत चाटर्ड एकांउटेंट द्वारा गत वर्ष का प्रमाणित बैलेंस शीट ।
   3. संस्थान द्वारा विगत 03 वर्षो में निर्मित एवं संधारित न्यूनतम 15 सार्वजनिक शौचालय कॉम्पलेक्स का अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश की प्रति।
   4. संस्था के स्वयं के वस्तुविदो एवं समाजशास्त्रियों की सूची होना अनिवार्य है तथा आवेदन के साथ उसे संलग्न करें।
   5. ई.ओ.आई. प्रस्ताव के साथ प्रत्येक कार्य हेतु रू. 10,000/– की अमानती राशि एफ.डी.आर. के रूप में जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से देय होगा, संलग्न करना होगा। बिना अमानती राशि के ई.ओ.आई. प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेंगें।
   6. आवेदक/फर्म/संस्थान/एन.जी.ओ. शासन की किसी भी अन्य कार्यालय/संस्था द्वारा दंडित/ब्लैक लिस्ट नही है, इस आशय का शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटराइज कराकर प्रस्तुत करना होगा।
2. योजनांतर्गत शौचालयों का निर्माण छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के (डिपार्टमेंट मैनुअल वर्क्स का अनुपालन करते हुये) प्रभावशील दर अनुसूची दिनांक 01.01.2015 अनुसार एस.ओ.आर. दर पर चयनित स्थलों/वार्डो में प्रस्तावित एवं निर्धारित मॉडल प्राक्कलन राशि प्रति शौचालय अंतर्गत किया जाना होगा तथा निर्माण उपरांत उक्त शौचालयों का 30 वर्षो तक संचालन एवं संधारण कार्य करना होगा।
3. प्रत्येक शौचालय की सीटों की संख्या तथा प्राक्कलन राशि निम्नानुसार है। इसमें 20 प्रतिशत राशि 30 वर्षो तक संचालन एवं संधारण 'पे एण्ड यूज' के आधार पर करने हेतु शामिल है। यदि उक्त कार्य ठेका पद्धति से कराया जाता है तथा ठेकेदार द्वारा 30 वर्षो तक संचालन एवं संधारण कार्य नहीं किया जाता है तो प्राक्कलन राशि/न्यूनतम स्वीकृत राशि में 20 प्रतिशत की कमी की जायेगी। –

क.	शौचालय सीट की संख्या	प्राक्कलन राशि (लाखो में)
1	10 सीटर	18.24

4. स्थल के स्वरूप अनुसार कार्य के स्वरूप, सीटों की संख्या, लागत एवं चयनित स्थल में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है। शासन स्वीकृति अनुसार शौचालयों की संख्या में भी कमी या वृद्धि की जा सकती है। उक्त संशोधन अनुसार संस्था को, शौचालय निर्माण, संपादन तथा 30 वर्षों तक संचालन एवं संधारण कार्य करने की बाध्यता होगी।

5. उक्त निर्माण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 तथा कामकाज संचालन 1998 एवं शासन द्वारा योजनांतर्गत जारी दिशा निर्देशों (क्र. एफ 5–3/2015/18 नया रायपुर दि.15.10.2015) के साथ ही शासन द्वारा समय समय पर जारी/प्रचलित दिशा –निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अनुबंधित एजेंसी को शौचालयों के निर्माण, संचालन, संधारण कार्य हेतु शासन के उक्त दिशा –निर्देशों का पालन करना होगा।

6. निर्माण कार्य हेतु समयावधि इस प्रकार होगी : 10 सीटर–6 माह, (वर्षा ऋतु सहित)। कार्य में विलम्ब की स्थिति में देयक से कटौती की जायेगी।

7. प्राक्कलन की राशि में आगामी 30 वर्षो के रखरखाव की व्यवस्था 'पे एण्ड यूज' के आधार पर सम्मिलित है। जिसके तहत राशि की वसूली अनुबंधित एन.जी.ओ./ एजेंसी द्वारा जावेगी तथा इस राशि का उपयोग शौचालय के संधारण एवं संचालन के लिए अतिरिक्त स्त्रोत के लिये किया जावेगा।

8. अनुबंधित संस्था को शासन द्वारा निर्धारित राशि ही प्रभार शुल्क के रुप में लेना होगा जो नगर पालिक निगम की स्थिति में 75 रु. प्रति परिवार प्रति माह एवं शौचालय/स्नानागार का उपयोग करने वाले अन्य बाहरी व्यक्तिओं द्वारा 5–5 रु. प्रति सुविधानुसार देय होगा। प्रत्येक 5 वर्षो में प्रभार शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

9. प्राप्त ई.ओ.आई. को खोलने और संकलित कर प्रस्तुत करने हेतु कार्यपालन अभियंता को अधिकृत किया जाता है।

10. इस योजना के अंतर्गत निर्मित शौचालयों में पुरूषों एवं महिलाओं के लिए पृथक–पृथक हिस्से में, शौचालय, स्नानागार, मूत्रालय (यूरिनल), कपड़े धोने की व्यवस्था होगी। विकलांगों के लिये टायलेट का आकार बड़ा होगा, जिसमें स्नान करने की भी व्यवस्था होगी। विकलांगो के सुविधापूर्वक आवागमन हेतु रैम्प का निर्माण किये जाने का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय की छत पर केयर टेकर हेतु निवास का प्रावधान किया गया है। शौचालय में महिलाओं द्वारा उपयोग किये जाने वाले हिस्से में सेनेटरी नेपकिन, इन्सेनिरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। शौचालय के एक हिस्से में सीमित संख्या में सीटों का उपयोग पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा रात्रि में भी किए जाने की व्यवस्था होगी। अर्थात शौचालयों का 24 घंटे उपयोग किया जा सकेगा। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार शौचालयों का निर्माण एवं संचालन – संधारण कार्य करना होगा।

11. निर्मित शौचालय की बाहरी दिवारों पर विज्ञापन का प्रावधान किया गया है जिसे प्रतिस्पर्द्धा द्वारा अधिकतम बोली/ ऑफर के आधार पर दिया जा सकेगा। उक्त अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास होगा।

12. निकाय द्वारा शौचालय परिसर हेतु विद्युत ,पानी तथा निकाय के वाहनों से सेप्टिक टैंक की सफाई व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जावेगी, किन्तु निकाय की सक्शन मशीन में खराबी होने पर यह व्यवस्था स्वयं के व्यय से अनुबंधित एन.जी.ओ./संस्था द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु श्रमिको का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा।

13. संस्थान/एन.जी.ओ. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/अनुभव तथा न्यूनतम दर प्रस्ताव के आधार पर योजनांतर्गत शासन द्वारा जारी दिशा – निर्देशों एवं पात्रता अनुसार निर्माण एजेंसी की नियुक्ति की जावेगी।

14. उपरोक्त कार्य हेतु प्रस्ताव स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित तिथि तक स्वीकार्य किये जायेगें। अन्य माध्यम एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त ई.ओ.आई. प्रस्ताव स्वीकार्य नही होगा।

15. चयनित एजेंसी/संस्था के ई.ओ.आई. प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत कार्यालयीन सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि के 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से 100.00 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर में कार्यानुबंध निष्पादन कर योजना के दिशा निर्देशों, निर्धारित मॉडल प्राक्कलन एवं डिजाईन अनुसार शौचालय निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में संपादन/पूर्ण कर निर्मित शौचालयों का 30 वर्षो तक संचालन – संधारण कार्य करना होगा।

16. चयनित एजेंसी द्वारा सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय के संचालन – संधारण हेतु नियुक्त एजेंसी शौचालय परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्र को साफ–सुथरा रखने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए ठोस अपशिष्ट, शौचालयों से निकलने वाले द्रव पदार्थ के शुद्धिकरण की प्रकिया उनके द्वारा संपादित की जावेगी।

17. शौचालय परिसर में किसी प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने तथा शौचालय का दुरूपयोग न हो, इसका संपूर्ण दायित्व, अनुबंधित एजेंसी का होगा।

18. अनुबंधित एजेंसी द्वारा सभी प्रकार के सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय में 01–01 केयर टेकर नियुक्ति किया जायेगा, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर मजदूरी अनुबंधित एजेंसी द्वारा प्रत्येक माह 07 तारीख के पूर्व आर.टी.जी.एस. द्वारा भुगतान किया जाना होगा।

19. शौचालय में एक सुझाव/शिकायत पेटी अनुबंधित एजेंसी द्वारा लगायी जायेगी। जिसे समय समय पर खोलकर सुझावों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

20. उक्त शौचालय के निरीक्षण तथा आवश्यकतानुसार निर्देश दिए जाने का अधिकार आयुक्त/अधिकृत प्राधिकारी को होगा। जिसका अनुबंधित एजेंसी को पालन करना अनिवार्य होगा।

21. उपरोक्त शर्तो का पालन नही करने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को अनुबंधित एजेंसी के विरूद्ध अनुबंधित लागत का अधिकतम 06 प्रतिशत तक शास्ति आरोपित करने का अधिकार रहेगा। त्रुटियों के बार बार दोहराये जाने पर संबंधित एजेंसी का ठेका निरस्त कर, ब्लैकलिस्ट करने तथा अनुबंधित संस्था से संचालन एवं संधारण के शेष अवधि के लिए होने वाले व्यय की वसूली की का अधिकार भी आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को होगा।

22. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिती में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

नोडल अधिकारी एवं
कार्यपालन अभियंता (SBM)
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)